संख्या–1305/9–आ–3–98–275

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।

3. आवास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 21 मई, 1998

विषय : सार्वजनिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों की स्वीकृति में शुल्कों में शुल्कों की रियायत दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भवन मानचित्रों की स्वीकृति के समय भवन अनुज्ञा शुल्क के अतिरिक्त परमिट शुल्क/ विकास शुल्क, मलवा शुल्क, सुदृढ़ीकरण शुल्क आदि भू–स्वामी से वसूल किये जाते हैं, औद्योगिक व्यवसायिक, आवासीय व संस्थागत उपयोग के भवन मानचित्रों पर एवं सार्वजनिक चैरिटेबल संस्थायें जो बिना लाभ–हानि के सामाजिक धाकर्मक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कार्य करती हैं, के निर्माण मानचित्रों पर अभी समान रूप से उपरोक्त शुल्क वसूल किये जाते हें। कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा ऐसी सार्वजनिक संस्थाओं के भवन मानचित्रों पर कुछ रियायत दी जाती है परन्तु इस विषय में सभी प्राधिकरणों क्षरा समाननीति नहीं अपनाई जा रही है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी चैरिटेबल संस्थायें जो सार्वजनिक हितों के उद्देश्य से बिना लाभ–हानि के कार्य करती हैं उनके निर्माण मानचित्रों पर लिए जाने वाले विकास शुल्क/परमिट शुल्क सुदृढ़ीकरण शुल्क में रियायत दी जये।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हे कि ऐसी चैरिटेबल सार्वजनिक संस्थायें जो महिला संरक्षण गृहों, विधवाओं तथा निराश्रित महिलाओं, कुष्ट रोग से पीड़ित व्यक्तियों, मूक, बधिर तथा अन्य लोगों, के लिए चिकित्सालयों, अनाथालयों के लिए सेवारत संस्थान, शैक्षिक चैरिटेबल एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बिना किसी लाभ हानि केक सेवारत संस्थाओं, चैरिटेबल व आध्यामिक/ धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत निर्माण मानचित्रों, जिनके द्वारा कोई व्यवसायिक उपयोग न किया जा रहा हो, पर परमिट शुल्क/विकास शुल्क/सुदृढ़ीकरण शुल्क कीआगणित धनराशि का 25 प्रतिशत जमा कराकर मानचित्र पर स्वीकृति दे दी जाये। उक्त छूट उन्हीं चैरिटेबल संस्थाओं को अनुमन्य होगी जिन्हं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80 जी के अर्न्तगत छूट प्रदान की गई हो तथा तत्समय भी उपलब्ध हो।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–1305(1)/9–आ–3–98 तददिनाँक

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 लखनऊ।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) उत्तर प्रदेश आवास बन्धु।

आज्ञा से,

यज्ञवीर सिंह चौहान
विशेष सचिव